



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2640]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938

No. 2640]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

का.आ. 3395(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 04 नवम्बर, 2016 को वह तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

क्र. सं.	धाराएं
1	धारा 4(xiii);
2	धारा 7; और
3	धारा 32.

[फा. सं. 3/5/2016-डीआरटी]

आनंदराव वि. पाटील, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4<sup>th</sup> November, 2016

**S.O. 3395(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016 (44 of 2016), the Central Government hereby appoints the 4<sup>th</sup> day of November, 2016 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

Sl. No	Sections
1	Section 4 (xiii);
2	Section 7; and
3	Section 32.

[F. No. 3/5/2016 - DRT]

ANANDRAO V. PATIL, Jt. Secy.